

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**आवश्यक सूचना**

श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय, निलंबित मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग को सूचित किया जाता है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-१८२८ दिनांक-१३.०४.२०१० के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आपके पते पर भेजे गये पत्रों का तामिला नहीं हो पा रहा है । आप निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना के कार्यालय में भी उपलब्ध नहीं हैं । इसके फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही की संचालन बाधित है ।

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक-३१.०८.२०१० को श्री दिनेश कुमार सिन्हा, संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, पटना के समक्ष कार्यावधि में अपना पक्ष रखने हेतु निश्चित रूप से उपस्थित हो । अन्यथा यह माना जायगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है ।

नियमानुसार आपके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा ।

संचालन पदाधिकारी-सह-  
संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

**समाचार पत्र में प्रकाशित :- (दिनांक :- 29-07-2010)**

**1. Dainik Jaagran, Patna**